न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/102 दायरा दिनांक : 11.07.2022

उनवान

1– जगदीश पुत्र भैरूलाल जाति किराड़ निवासी उम्मेदपुरा, तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज.)
2– बद्रीलाल पुत्र भैरूलाल जाति किराड़ निवासी उम्मेदपुरा, तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज.)
3– ओमप्रकाश पुत्र भैरूलाल जाति किराड़ निवासी उम्मेदपुरा, तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज.) .

.... अपीलांट

बनाम

1– शांतिलाल पुत्र भंवरलाल जाति किराड़ निवासी उम्मेदपुरा, तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज.)
2– सुरेन्द्र पुत्र रामभरोस जाति किराड़ निवासी उम्मेदपुरा, तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज.)
3– फुलवन्ता बाई पुत्री रामभरोस पत्नि तुलसीराम जाति किराड़ निवासी भगवानपुरा, तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज.)
4– मंजु बाई पुत्री रामभरोस पत्नि महावीर जाति किराड़ निवासी नियाना पोस्ट माथना, तहसील बारां, जिला बारां (राज.)
5– भूरी बाई पुत्री रामभरोस पत्नि लीलाधर जाति किराड़ निवासी आमली कराड़िया, तहसील अटरू जिला बारां (राज.)
6– रामभरोसी बाई पत्नि रामभरोस जाति किराड़ उम्मेदपुरा, तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज.)
7– रामलाल पुत्र छोटूलाल जाति किराड़ निवासी उम्मेदपुरा, तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज.)
8– बिरधा पुत्र छोटूलाल जाति किराड़ निवासी उम्मेदपुरा, तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज.)
9– हंसराज पुत्र छोटूलाल जाति किराड़ निवासी उम्मेदपुरा, तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज.) (मृतक) जरिये कायम मुकामान –
9/1–रविश मेहता पुत्र हंसराज जाति किराड़ उम्र 12 वर्ष निवासी उम्मेदपुरा, तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज.) नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता शिमला बाई पत्नि हंसराज जाति किराड़ निवासी उम्मेदपुरा, तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज.)
9/2–खुशबू मेहता पुत्री हंसराज जाति किराड़ उम्र 16 वर्ष नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता शिमला बाई पत्नि हंसराज जाति किराड़ निवासी उम्मेदपुरा, तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज.)
9/3–दीक्षा मेहता पुत्री हंसराज जाति किराड़ उम्र 14 वर्ष नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता शिमला बाई पत्नि हंसराज जाति किराड़ निवासी उम्मेदपुरा, तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज.)
9/4–शिमला बाई पत्नि हंसराज जाति किराड़ निवासी उम्मेदपुरा, तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज.)

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

10– बलराम पुत्र छोटूलाल जाति किराड़ निवासी उम्मेदपुरा, तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज.)
11– कमला बाई पुत्री छोटूलाल पत्नि भैरूलाल जाति किराड़ निवासी रीछड़िया, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)
12– सुमित्रा बाई पुत्री छोटूलाल पत्नि रमेश जाति किराड़ निवासी कुराड़ तह० कनवास जिला बोटा
13– गोपाली बाई पुत्री छोटूलाल पत्नि पप्पू जी जाति किराड़ निवासी गाडरवाड़ा नूरजी तहसील खानपुर जिला झालावाड़
14– बद्री बाई पुत्री छोटूलाल पत्नि रामगोपाल जाति किराड़ निवासी लोडाहेडा पोस्ट धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा
15– अमरी बाई बेवा छोटूलाल जाति किराड़ निवासी उम्मेदपुरा तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज.)
16– बृजराज पुत्र धन्नालाल जाति किराड़ निवासी उम्मेदपुरा, तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज.)
17– पप्पू पुत्र धन्नालाल जाति किराड़ निवासी उम्मेदपुरा, तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज.)
18– रामेश्वर पुत्र धन्नालाल जाति किराड़ निवासी उम्मेदपुरा, तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज.)
19– सुरेश बाई पुत्री धन्नालाल पत्नि सियाराम जाति किराड़ निवासी बड़ोदिया पोस्ट पार की दीगोद, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज.)
20– निर्मला बाई पुत्री धन्नालाल पत्नि बिरधीलाल जाति किराड़ निवासी झाड़ोता पोस्ट सगतपुरा, तहसील अटरू जिला बारां (राज.)
21– राजू बाई पुत्री धन्नालाल पत्नि सुरेश जाति किराड़ निवासी कुराड़ त० कनवास जिला कोटा
22– पाना बाई पत्नि धन्नालाल जाति किराड़ निवासी उम्मेदपुरा, तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज.)
23– शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पनवाड़ तहसील खानपुर जिला झालावाड़
24– शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा दहीखेड़ा, तहसील खानपुर जिला झालावाड़
25– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खानपुर जिला झालावाड़ .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री सजंय कुमार सक्सैना अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 1 की ओर से
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक : 04.12.2024**

ये अपील उपखण्ड अधिकारी खानपुर के प्रकरण संख्या – 784/दावा/2018 निर्णय दिनांक 03.03.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट कम 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम भटवाडा पटवार हल्का आकोदिया तहसील खानपुर जिला झालावाड में नया खाता संख्या 31 पुराना 24 की खसरा नं. 2 की 11.18 बीघा, खसरा नं. 8 की 27.19 बीघा, खसरा नं. 11 की 1.10 बीघा, खसरा नं. 54 की 9.05 बीघा, खसरा नं. 68 की 6.11 बीघा कुल 5 किता की 57.03 बीघा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय दिनांक 03.03.2020 से वादी रेस्पोडेंट कम 1 का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट/ प्रतिवादी कम 1,2,3 ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया है कि प्रतिवादीगण पर न्यायालय के सम्मन की तामील विधि अनुसार नहीं हुई है। दिनांक 05.02.2019 को भी प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 8 से 12, 15, 17 से 20, 24 से 27 के सम्मन नोटिस पर पृष्ठांकन को ध्यान से देखा जाए तो केवल एक ही व्यक्ति पर सारे सम्मन नोटिस तामील करा दिये गये हैं और कई सम्मन पर जो हस्ताक्षर हैं, उसके नाम अंकित नहीं है। दिनांक 30.07.2019 को प्रतिवादी 5 से 7, 13, 14, 16, 21, 22, 23 के सम्मन भी विधि अनुसार तामील नहीं हुए हैं। इस महत्वपूर्ण तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअंदाज किया है और एक तरफा निर्णय पारित किया है, जो न्याय के हनन की परिभाषा में आता है। वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट पक्ष को विधि अनुसार सम्मन की तामील नहीं कराई गई। इसलिए वह माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। ऐसी स्थिति में वह अपना पक्ष नहीं रख सके और विधि विरूद्ध निर्णय डिक्री प्राप्त करने में वादी शांतिलाल कामयाब हो गया। यह निर्णय विधि विरूद्ध होने से जारी रहने योग्य नहीं है।

ग्राम भटवाड़ा पटवार हल्का आकोदिया तहसील खानपुर के खसरा नं. 36 और 37 की आराजी अपीलान्ट के पिता भैरूलाल और काका अमरा उर्फ अमरलाल को एलोटमेन्ट के द्वारा प्राप्त हुई थी। जिसकी इंतकाल संख्या 514 दिनांक 26.11.1962 है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को प्रस्तुत करने से अपीलान्ट को वंचित कर दिया गया है। इस इंतकाल की रोशनी में वादी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का हिस्सा इस आराजी में नहीं बनता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय डिक्री विधि के प्रावधानों के खिलाफ होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़ का निर्णय डिक्री दिनांक 03.03.2020 अपास्त की जावे। विकल्प में यह भी निवेदन है कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करते हुए पुनः सुनवाई करने के आदेश भी फरमाये जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

26.05.2022 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अभिभाषकगण की उभयपक्षीय बहस सुनी गई

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराया और लिखित बहस पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड द्वारा एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 3–3–2020 को पारित किया गया है। उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3–3–2020 की अप्रसन्नता से प्रतिवादीगण अपीलान्टस् द्वारा धारा 223 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के अन्तर्गत सम्माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पो० शांति लाल पुत्र भंवरलाल जाति किराड निवासी उम्मेदपुरा तहसील खानपुर जिला झालावाड ने इन तथ्यों के साथ दावा प्रस्तुत किया कि ग्राम भटवाडा तहसील खानपुर की खतौनी सं0 31 की 5 किता की 57 बीघा 3 बिस्वा एवं खतौनी सं0 32 की 2 किता की 9 बीघा 7 बिस्वा भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते एंवम् कब्जे काश्त की आराजी स्थित है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। मूल पुरूष भंवरलाल जी ने वादी रेस्पो० नं० 1 अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88, 89, 91 व 209 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत कर जाहिर किया कि उपरोक्त भूमि पूर्व में भंवरलाल की थी। भंवरलाल के पांच पुत्र 1– भंवरलाल 2– अमरलाल 3– छोटूलाल 4– धन्नालाल व 5– शांति लाल थे। वादी रेस्पो० नं० 1 के पिता शांति लाल सबसे छोटे है। पारिवारिक शजरे के अनुसार वादी के पिता भंवरलाल जी की आराजी में सभी पांचों पुत्रों का 1/5,1/5 हिस्सा बनता है। किन्तु वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम दर्ज नहीं है जब कि वादी प्रतिवादीगण का सगा भाई है। प्रतिवादीगण ने आपसी मिली भगत कर वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम दर्ज नहीं करवाया। उक्त आराजी में वादी का 1/5 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था। खाता सं० 33 की 10 किता की 39 बीघा 15 बिस्वा भूमि में वादी का नाम प्रतिवादीगण के साथ समभाग से बहैसियत खातेदार दर्ज है। अतः उपरोक्त 57 बीघा 3 बिस्वा एवं 9 बीघा 9 बिस्वा मे वादी रेस्पो० नं० 1 को 1/5 हिस्से का खातेदार टीनेन्ट घोषित फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा में अपीलांटस् बतोर प्रतिवादी नं० 1 लगायत 3 पक्षकार थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण अपीलान्टस् को दावे के कोई सम्मन प्रेषित नहीं किये गये तथा प्रतिवादीगण अपीलान्टस् ने किसी सम्मन को लेने से इन्कार भी नहीं किया। प्रतिवादीगण अपीलान्टस् पर सम्मन की व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं करवाई गई थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न सम्मन को देखने से स्पष्ट होता है कि समस्त प्रतिवादीगण के सम्मन एक ही व्यक्ति द्वारा प्राप्त कर लिये गये इस प्रकार प्रतिवादीगण अपीलान्टस् पर सम्मन की तामील प्रोपर रूप से नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण अपीलान्टस् के विरूद्ध सम्मन की

(दीप्ति समचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

सम्यक रूप से तामील हुये बिना ही उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर एक पक्षीय रूप से निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योय है।

यह कि खसरा नम्बर 36 व 37 की भूमि प्रतिवादी अपीलान्ट के पिता भेरूलाल जी एवं काका अमरा उर्फ अमरलाल जी को आंवटित की गई थी। उक्त भूमि बाबत इन्तकाल नम्बर 514 दिनांक 26–11–1962 को तस्दीक किया गया था। उपरोक्त भूमि भंवरलाल जी की नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपीलान्टस् की अनुपस्थिती में एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। अतः निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी की तारीख से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन फरमायी जाकर अपील अपीलान्टस् अवधि मध्य प्रस्तुत होना माना जाकर अपील गुणावगुण पर निर्णित फरमायी जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के मनमाने तोर पर कयास के आधार पर दावा वादी रेस्पो० डिक्री फरमाने में त्रुटि की है।

उपरोक्त परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।अतः उपरोक्त तर्को व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों के आधार पर लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस् स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 3–3–2020 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित फरमाया जावे कि अधीनस्थ न्यायालय प्रतिवादीगण अपीलान्टस् को जवाब दावा प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर वादी रेस्पो० नं0 1 से एवं गवाहान से जिरह करने का अवसर प्रदान कर अपनी और से शहादत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर बाद समाअत बहस अपील का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने का आदेश फरमाया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में 2002 RLW Raj. P. 100 (H.C.), 2020 (i) DNJ Raj. P.365 (H.C.), 1982 RRD P. 322, 1984 RRD P. 45 की नजीरें उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की और कथन किया कि खाता संख्या 31 की खसरा नम्बर 02, 08, 11, 54, 68 कुल 05 किता की 57 बीघा 03 बिस्वा आराजी वाके ग्राम भटवाडा तहसील खानपुर एवम खाता संख्या 32 की आराजी खसरा नम्बर 36, 37 की कुल 02 किता रकबा 09 बीघा 07 बिस्वा आराजी वाके ग्राम भटवाडा तहसील खानपुर सम्वत 2071 से 2074 दर्ज है उक्त आराजी भंवरलाल जी की थी भंवरलाल जी के पांच पुत्र थे भेरुलाल अमरलाल, छोटूलाल, पन्नालाल व शान्तिलाल थे – इस प्रकार भंवरलाल जी के सभी पुत्र प्रत्येक का 1/5 हिस्सा था लेकिन वादी शान्तिलाल का नाम अंकित होने से रह गया था जब कि खाता संख्या 33 की आराजी 39 बीघा 15 बिस्वा मे वादी शान्तिलाल का नाम दर्ज है इस कारण वादी शान्तिलाल उक्त दोनो खातो मे भी अपना नाम दर्ज कराने का अधिकारी है इस बाबत वादी शान्तिलाल ने अधिनस्थ न्यायालय मे वाद प्रस्तुत किया था प्रतिवादीगण बावजूद सूचना जानबूझकर न्यायालय मे उपस्थित नही आये – वादी शान्तिलाल ने दस्तावेज प्रस्तुत किये जिससे यह साबित होता है कि उक्त विवादग्रस्त

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आराजी भंवरलाल के खातेदारी की थी जिनके स्वर्गवास के बाद उक्त आराजी वादी शान्तिलाल को उत्तराधिकार के आधार पर 1/5 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था इस कारण वादी शान्तिलाल का दावा सही रुप मे स्वीकार किया जाकर डिकी किया गया है।

अपीलान्ट के द्वारा बहुत देरी से मियाद अपील प्रस्तुत की गई है जिसका कोई उचित एवम सन्तोषप्रद कारण नही दिया है इस कारण अपील मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है । अपीलान्ट ने अपील मे जो भी आधार लिया है वह प्रमाणित नही है उससे अपीलान्ट को अपील मे किसी भी प्रकार की सहायता नही मिलती है अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय बिलकुल सही व तार्किक है इस कारण अपीलान्ट की अपील खारिज होने योग्य है। अतः निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील को मय हर्जा खर्चा खारिज फरमायी जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.03.2020 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रतिवादीगण पर न्यायालय के सम्मन की तामील विधि अनुसार नहीं हुई है। दि. 05.02.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 8 से 12, 15, 17 से 20, तथा 24 से 27 के सम्मन नोटिस केवल एक ही व्यक्ति पर तामील करा दिये गये हैं और कई सम्मन पर जो हस्ताक्षर है, उसके नाम अंकित नहीं है। दिनांक 30.07.2019 को प्रतिवादी कम 5 से 7, 13, 14, 16, 21, 22, 23 के सम्मन भी विधि अनुसार तामील नहीं हुए हैं। इस महत्वपूर्ण तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअंदाज किया है और एक तरफा निर्णय पारित किया है, जो न्याय के हनन की परिभाषा में आता है। तामील के अभाव में अपना पक्ष नहीं रख सके और विधि विरुद्ध निर्णय डिकी प्राप्त करने में वादी शांतिलाल कामयाब हो गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न सम्मनों के अवलोकन से अपीलांट के कथन की पुष्टि होती है। अधिकांश सम्मनों की तामील एक ही व्यक्ति पर होना पाया गया। अपीलांट नं. 2 व 3 के सम्मन पर भी एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर है और हस्ताक्षरकर्ता के आगे केवल पुत्र शब्द लिखा गया है, नाम दर्ज नहीं किया गया। एक ही व्यक्ति अपीलाट नं. 1 व 2 का पुत्र कैसे हो सकता है। अतः सम्मनों की तामील वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से संदेहास्पद है। अधीनस्थ न्यायालय का यह बाध्यकारी कर्तव्य है कि एक पक्षीय कार्यवाही करने से पूर्व न्यायालय यह

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

सुनिश्चित करे कि नियमानुसार सीपीसी के आदेश — 5 के प्रावधानों की पालना हो गयी है।

इसी प्रकार अपीलांट का एक अन्य कथन यह है कि ग्राम भटवाडा पटवार हल्का आकोदिया, तहसील खानपुर के खसरा नं. 36 और 37 की आराजी अपीलांट के पिता भैरुलाल और काका अमरा उर्फ अमरलाल को एलोटमेंट के द्वारा प्राप्त हुई थी जिसका इंतकाल संख्या 514 दि. 26.11.1962 है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को प्रस्तुत करने से अपीलांट को वंचित कर दिया गया। इस इंतकाल की रोशनी में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 का हिस्सा इस आराजी में नहीं बनता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री विधि के प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ होने से निरस्त होने योग्य है।

अपीलांट के उक्त कथन की पुष्टि अपील के साथ प्रस्तुत नामांन्तकरण संख्या 514 दिनांक 26.11.1962 की प्रमाणित प्रति से होती है। इसी प्रकार वादी रेस्पोडेंट नं. 1 शांतिलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी एग्जीविट पी—1 ग्राम भटवाड़ा, तहसील खानपुर की खाता संख्या नया 32 व पुराना 25 के खसरा नम्बर 36, 37 कुल किता 2 की कुल रकबा 9.07 बीघा आराजी जमाबंदी संवत् 2071—2074 के अनुसार भेरया और अमरलाल के वारिसान के 1/2—1/2 हिस्से अनुसार ही खाते दर्ज है। यदि खसरा नम्बर 36, 37 की आराजी वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 के वादपत्र में अंकित कथनानुसार एवं वादपत्र की मद नं. 3 में अंकित पारिवारिक सजरे के अनुसार वादी रेस्पो.नं. 1 के पिता भंवरलाल की थी तो ऐसी स्थिति में इस आराजी में मृतक भंवरलाल की मृत्यु पश्चात उसके पांचों पुत्रों का जैसा की वादी ने कथन किया है 1/5, 1/5 हिस्सा दर्ज होकर नाम दर्ज होने चाहिए थे परंतु प्रस्तुत रिकॉर्ड से ऐसा होना नहीं पाया गया। यदि शांतिलाल का नाम दर्ज होने से रह भी गया तो भी शांतिलाल के चार अन्य भाईयों के नाम खसरा नम्बर. 36, 37 की आराजी में दर्ज होने चाहिए थे परंतु प्रस्तुत रिकॉर्ड से ऐसा भी नहीं पाया गया। वादी रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा वादपत्र में अंकित अपने कथनों की पुष्टि हेतु विवादित आराजी के नये पुराने खसरा नं. का मिलान क्षेत्रफल भी प्रस्तुत नहीं किया है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इस तथ्य का कोई विश्लेषण व निष्कर्ष दर्ज नहीं किया कि **"अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस आधार पर वादी का वाद स्वीकार कर उसे वादपत्र की मद नं. 1 व 2 में वर्णित विवादित आराजी के 1/5 हिस्से का खातेदार टीनेन्ट घोषित कर रिकॉर्ड में अमल दरामद किस आधार पर किया जाए। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में केवल यह अंकित किया है कि Exp1 ग्राम भटवाड़ा की जमाबंदी संवत 2071—74 की खतौनी सं. 32 की 2 किता रकबा 9.07 बीघा, Exp2 ग्राम भटवाड़ा की जमाबंदी संवत 2071—74 की खतौनी सं. 33 की ख0नं0 127 रकबा 39.15 बीघा, Exp3 ग्राम भटवाड़ा की जमाबंदी संवत 2071—74 की खतौनी सं. 31 की 5 किता रकबा 57.03 बीघा, Exp4 सेटलमेंट जमाबंदी ग्राम भटवाडा संवत् 2028—47 की खतौनी सं. 13 की 2 किता रकबा 9.07**

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बीघा, **Exp5** सेटलमेंट जमाबंदी ग्राम भटवाड़ा संवत् 2028–47 की खतौनी सं. 14 की 5 किता रकबा 57.03 बीघा, **Exp6** नकल इंतकाल सं0 260 ग्राम भटवाड़ा दिनांक 14.04.14.04.40, **Exp7** ग्राम भटवाड़ा की जमाबंदी संवत 2024–27 की खतौनी सं0 29 की 3 किता रकबा 30.01 बीघा, **Exp8** ग्राम भटवाड़ा की जमाबंदी संवत 2019–22 की खतौनी सं0 28 की 3 किता रकबा 30.01 बीघा, **Exp9** नकल नामा. सं. 513 ग्राम भटवाड़ा दिनांक 25.05.61, **Exp10** नकल मिलान खसरा ग्राम भटवाड़ा, **Exp11** सेटलमेंट जमाबंदी ग्राम भटवाड़ा संवत् 2028–47 की खतौनी सं० 15 की ख0नं0 127 रकबा 39.15 बीघा एवं बयान वादी शांतिलाल, बयान गवाह विजयसिंह बंजारा, बद्रीलाल किराड़ से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी भंवरलाल के खाते की है तथा खातेदार भंवरलाल के पांच पुत्र कमशः भैरूलाल, अमरलाल, छोटूलाल, धन्नालाल, शांतिलाल हैं, जिनका वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा बनता है। ऐसे में वादी शांतिलाल का भी इस आराजी में 1/5 हिस्सा होना स्पष्ट है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये हैं। इससे भी यही प्रकट होता है कि इन प्रतिवादीगण को वादी के वाद पर कोई ऐतराज नहीं है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी ने अपने वाद को लिखित एवं मौखिक साक्ष्य से बखूबी साबित कराया है। ऐसे में वादी, वाद में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने उक्त निर्णय में वादी का वाद स्वीकार करने के कारण एवं निष्कर्ष का कोई उल्लेख नहीं किया, ना ही तनकीयात कायम की और ना ही तनकीवार निर्णय पारित किया है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.03.2020 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर तनकीयात कायम कर पुनः नये सिरे से तनकीवार विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.01.2025 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

04/12/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा